

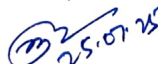
आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक सं०- से

जिला - गिरिडीह, अंचल - धनवार, विविध वाद सं०- 38/सन-2025- 26

केस का प्रकार - विविध वाद

आदेश का क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
25.07.2025	-:आदेश:- यह विविध वाद अभिलेख सं०- 38/2025- 26 आवेदक मो० तेजरत, पिता-किताबी मियाँ, साकिन- नीमाडीह, थाना- धनवार, जिला- गिरिडीह के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं०- 02, श्री जयदेव शर्मा के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संधारित किया गया है। राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं०- 02, श्री जयदेव शर्मा ने अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से प्रतिवेदित किया है कि आवेदित भूमि मौजा- नीमाडीह, थाना नं०- 47, रैयती खाता सं०- 05, प्लॉट नं०- 719 एवं अन्य, रकवा- 0.4825 एकड़ भूमि केवाला सं०- 7515, दिनांक- 02.04.1970 से प्राप्त है। लगान रसीद वर्ष 1979 - 80 का संलग्न है। संलग्न लगान रसीद में मौजा- नीमाडीह, थाना नं०- 47, खाता सं०- 05, रकवा- 0.4825 एकड़ रैयत रमजान मिया व किताबी मियाँ अंकित है। उन्होंने आगे प्रतिवेदित किया है कि हल्का में उपलब्ध पंजी - II क्षतिग्रस्त है। अंत में प्रतिवेदित किया है कि अंचल अमीन से मापी कर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं०- 02, श्री जयदेव शर्मा /अंचल अमीन /अंचल निरीक्षक, धनवार के द्वारा नक्शा सहित मापी -सह- दखल कब्जा प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदन अनुसार वादगत भूमि यथा मौजा- नीमाडीह, थाना नं०- 47, रैयती खाता सं०- 05, प्लॉट नं०- 719 एवं अन्य, रकवा- 0.4825 एकड़ भूमि पर जमाबंदी रैयत तथा उनके वंशज दखलकार है। वादगत भूमि का ऑनलाईन पंजी- II में जमाबंदी कायम करने के निमित्त आम इस्तेहार निर्गत कर आपत्ति की मांग की गई। निर्धारित तिथि तक किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं०- 02, श्री जयदेव शर्मा /अंचल अमीन /अंचल निरीक्षक, धनवार से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं मापी-सह- दखल-कब्जा संबंधित प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए लगान रसीद तथा आम इस्तेहार के उपरान्त कोई आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में अंचल धनवार अन्तर्गत मौजा- नीमाडीह/47 के ऑनलाईन पंजी-II में खाता सं०- 05, प्लॉट नं०- 719 एवं अन्य, रकवा- 48.25 डी० भूमि की ऑनलाईन जमाबंदी कायम करने का आदेश दिया जाता है। लेखापित एवं संशोधित।  अंचल अधिकारी, धनवार।  अंचल अधिकारी, धनवार।	